AREA STATEMENT					
			AREA		
SL. NO.	DESCRIPTION	No./(%)	(sq.m.)	(acres)	(hac)
1	PLOT AREA	100	68,594.93	16.95	6.859
2	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE(50%OF PLOT AREA)	50%	34,297.47		
3	PERMISSIBLE FAR	2.0	137,189.86		
4	PERMISSIBLE GREEN	10%	6,859.49		
	ACHIEVED AREAS:				
5	ACHIEVED GROUND COVERAGE	28.74%	19,715.874	4.87	1.97
6	ACHIEVED FAR	1.981	135,911.078	33.57	13.59
7	ACHIEVED UNITS				
	EWS-1280 & LIG-2436	3,716	UNITS	18580	PERSONS
8	PROVIDED GREEN	10.00%	6861.68	SQ. MT.	

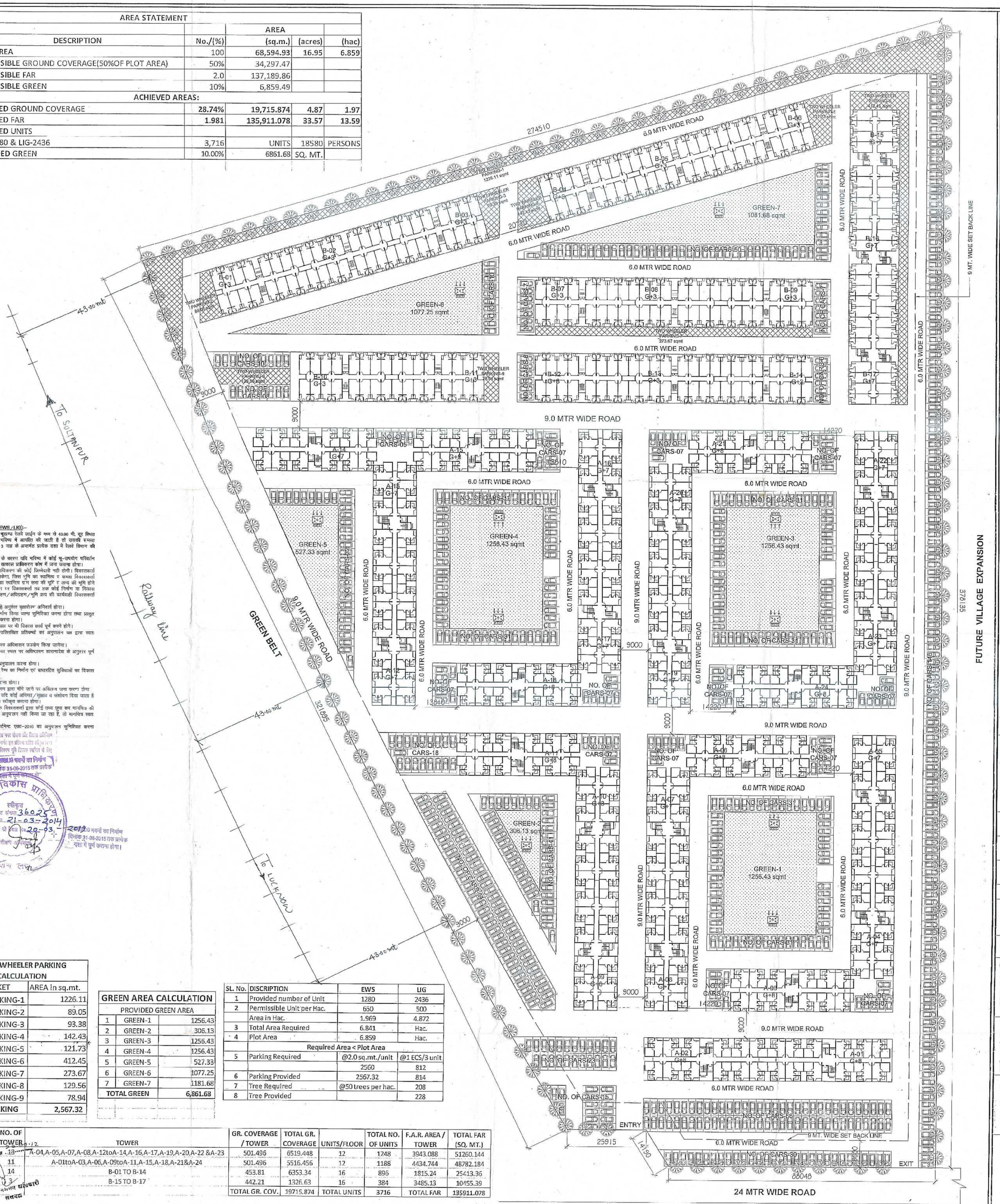

PROPOSED GROUP HOUSING ON GROUP HOUSING-6, IN POCKET-3, SECTOR-K, SUSHANT HI-TECH CITY, LUCKNOW.

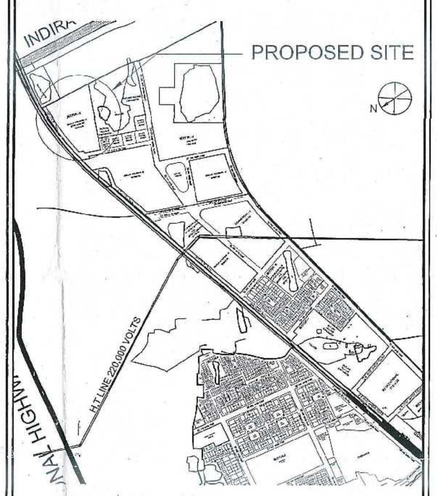

KEY PLAN (N.T.S.)

SUBMISSION DRAWING

DRG. TITLE :- **SITE PLAN**

DRG. NO:- GH/HI-TECH/LKO./SUB/S-01

CHECKED BY:- VERSHA

DEALT BY :- BALNEET

SCALE:-	REVISION	DATE	NORTH:-
1:450		NOV.2012	N

NOTE:- ALL DIM. ARE IN MM.

CLIENT:-
ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD.
GROUND FLOOR, YUVA BHAWANYMCA COMPLEX, 13 RANA PRATAP MARG LUCKNOW

DELHI OFFICE
115 ANSAL BHAWAN,16 KASTURBA GANDHI MARG, NEW DELHI

CONSULTANTS-
RUDRABHISHEK ENTERPRISES PVT. LTD.
TOWN & COUNTRY PLANNERS, ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS, SURVEY CIVIC, SERVICES DESIGNERS.
GROUND FLOOR, YUVA BHAWAN, YMCA COMPLEX, 13 RANA PRATAP MARG LUCKNOW
CALL - (0522) 2206165

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2021 तथा भवन उपविधि 2008 तथा सम्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD
1st Floor, Y.M.C.A. Building
13, Rana Pratap Marg, Lucknow - 226001
ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD
1st Floor, Y.M.C.A. Building
13, Rana Pratap Marg, Lucknow - 226 001
OWNER'S SIGN.

VIRESH KUMAR
Architect
Regd. No. : CA/2005/35401
VIRESH KUMAR
Architect
Regd. No. : CA/2005/35401
ARCHITECT'S/ TOWN PLANNER SIGN.

प्रतिबन्ध (G716 EWS / LIG)–

1. शपथ पत्र दिनांक 18.02.2014 के अनुसार प्रस्तावित भूगर्भ रेलवे लाईन के मध्य से 43.00 मी. दूर स्थित है। यदि इस सम्बन्ध में रेल विभाग द्वारा कोई भविष्य में आपत्ति की जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। इसके अतिरिक्त 3 माह के अन्तर्गत प्रारंभ दशा में रेलवे विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत करना होगा।
2. बहुयें चरण महायोजना के विस्तारित क्षेत्र में होने के कारण यदि भविष्य में कोई भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उसे तत्काल प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
3. भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/ निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्वर्गीकरण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
4. जनमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड यूजपिंग प्लान के अनुसार खसरोरूप अनिवार्य होगा।
5. शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा तथा प्रस्तुत स्ट्रक्चरल डाइंग व डिजाइन के अनुरूप ही निर्माण करना होगा।
6. लैण्ड स्कैपिंग प्लान व वॉटरिंग प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
7. मुख्य अग्नि शमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति में उल्लिखित प्रतिबन्धों का अनुपालन पत्र द्वारा स्वतः सुनिश्चित करना होगा।
8. पूर्ण अथवा भाग प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण एवं अधिवासन उपयोग किया जायेगा।
9. रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
10. लेबर एक्ट/लेबर सेस व नेशनल सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा।
11. स्थल पर वॉटरिंग रूप से विद्युतांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
12. स्थल पर वास्तविक स्वीकृत समयवधी सूचना पट्ट लगाना होगा।
13. भविष्य में यदि कोई दंडनीय निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यदि कोई अभिमत/सुझाव व संशोधन दिया जाता है तो उसे समावेशित करते हुये मुख्य संशोधित मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।
15. यदि भविष्य में ऐसी कोई बाह प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
15. प्रस्तावित बहुमंजिला निर्माण/भवन में उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

G5A/B भवनों का निर्माण दिनांक 31-08-2015 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना होगा।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
पत्रांक संख्या 36025
दिनांक 21-03-2014
स्वीकृत की तिथि 29-03-2014
अधीक्षक अभियन्ता

G5A/B भवनों का निर्माण दिनांक 31-08-2015 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना होगा।

TWO -WHEELER PARKING CALCULATION		
S. NO.	POCKET	AREA in sq.mt.
1	PARKING-1	1226.11
2	PARKING-2	89.05
3	PARKING-3	93.38
4	PARKING-4	142.43
5	PARKING-5	121.73
6	PARKING-6	412.45
7	PARKING-7	273.67
8	PARKING-8	129.56
9	PARKING-9	78.94
TOTAL PARKING		2,567.32

GREEN AREA CALCULATION		
PROVIDED GREEN AREA		
1	GREEN-1	1256.43
2	GREEN-2	306.13
3	GREEN-3	1256.43
4	GREEN-4	1256.43
5	GREEN-5	527.33
6	GREEN-6	1077.25
7	GREEN-7	1181.68
TOTAL GREEN		6,861.68

SL. No.	DISCRIPTION	EWS	LIG
1	Provided number of Unit	1280	2436
2	Permissible Unit per Hac.	650	500
	Area in Hac.	1.969	4.872
3	Total Area Required	6.841	Hac.
4	Plot Area	6.859	Hac.
	Required Area < Plot Area		
5	Parking Required	@2.0 sq.mt./unit	@1 ECS/3 unit
		2560	812
6	Parking Provided	2567.32	814
7	Tree Required	@50 trees per hac.	208
8	Tree Provided		228

DESCRIPTION	NO. OF TOWER	TOWER	GR. COVERAGE / TOWER	TOTAL GR. COVERAGE	UNITS/FLOOR	TOTAL NO. OF UNITS	F.A.R. AREA / TOWER	TOTAL FAR (SQ. MT.)
LIG(G+7)5	13	A-04,A-05,A-07,A-08,A-12toA-14,A-16,A-17,A-19,A-20,A-22 &A-23	501.496	6519.448	12	1248	3943.088	51260.144
LIG(G+8)	11	A-01toA-03,A-06,A-09toA-11,A-15,A-18,A-21&A-24	501.496	5516.456	12	1188	4434.744	48782.184
EWS (G+3)	14	B-01 TO B-14	453.81	6353.34	16	896	1815.24	25413.36
EWS (G+7)	3	B-15 TO B-17	442.21	1326.63	16	384	3485.13	10455.39
TOTAL GR. COV.			19715.874	TOTAL UNITS		3716	TOTAL FAR	135911.078

मुख्य अभियन्ता